FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0020 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 01/02/2024 17:19 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/01/2024 **Date To (दिनांक तक):** 30/01/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:45 बजे **Time To (समय तक):** 11:19 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/02/2024 **Time (समय):** 16:25 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 01/02/2024 17:19:55 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 251 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** MBS HOSPITAL KOTA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Kaporchand Singal

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Hariparsad singal

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1951 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Children School ki Gali, chhawani, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Children School ki Gali, chhawani, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9799858586

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Mansur ali ansari		पिता:Mohammd mustkem	1. 6A9,Vigyan Nagar Kota,Kota,Kota,KOTA CITY,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय हालात इस प्रकार है दिनांक 24.01.2024को श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, कोटा द्वारा उनके कक्ष मे बुलाकर उनके पास उपस्थित परिवादी कपूरचंद सिंघल पुत्र स्व. श्री हरिप्रसाद सिंघल जाति महाजन उम्र 73साल निवासी- छावनी, कोटा मोबाईल नम्बर- 9799858586 फर्म कपूर ट्रेडर्स कोटा से मेरा आपसी परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा उन्हे पेश टाईपशुदा प्रार्थना पत्र मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये । श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री कपूरचंद सिंघल को साथ लेकर स्वयं के कक्ष मे आया तथा परिवादी श्री कपूरचंद सिंघल के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताया जो इस आशय का है कि "मेरी फर्म कपूर ट्रेडर्स छावनी कोटा है मेरी फर्म के माध्यम से एम.बी.एस. हॉस्पीटल कोटा में टेण्डर के अनुसार साबुन, चप्पले, बिजली के सामान व अस्पताल के अन्य जरूरी सामान सप्लाई करता हूं एवं मशीनो के मरम्मत संबंधी कार्य व अन्य छोटे मोटे कार्य मौखिक आदेश से भी करता हूं। मेरे उक्त कार्यों सें संबंधित बिलो का भुगतान संबंधी प्रक्रिया श्री मंसूर अली अंसारी वरिष्ठ नर्सिंग अधीक्षक वर्कशॉप प्रभारी एम.बी.एस. अस्पताल कोटा द्वारा किया जाता है। श्री मंसूर अली द्वारा पिछले कई महिनों सें मेरे बिलो का भुगतान नहीं करवाया जा रहा हैं और व मुझे परेशान कर रहा है। मेरे बिलो के भुगतान AO व बाबू सें कराने की एवज में वह मुझसे तीस हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं मेरे वैध कार्य के बदले मंसूर अली को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मैं उसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी मंसूर अली सें कोई रंजिश नहीं हैं तथा उससे मेरा कोई उधार के रूपये का लेनदेन भी नहीं हैं। रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करें" परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने सें कार्यालय में कार्यरत श्री बृजराज सिंह, हैड कानि नं. 144 को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी से आपसी परिचय करवाया गया तथा कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया गया तथा परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु व बंद करने व रिकॉर्ड करने की विधि समझाई। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि श्री मसंूर अली अभी उसके कार्यालय में नहीं हैं मैं कल आऊंगा जब उससें मिलकर रिश्वत के संबन्ध में बात कर लूंगा तत्पश्चात परिवादी श्री कपूरचंद सिंघल को गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर अपने आवास के लिए रवाना किया गया। दिनांक 25.01.2024 समय 11ः00 ए.एम. परश्री कपूरचंद सिंघल कार्यालय में उपस्थित आया। मन पुलिस निरीक्षक ने श्री बृजराज सिंह हैड कानि. को अपने कक्ष में बुलाया तथा कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया गया पुनः परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु व बन्द करने की विधी समझाई तथा फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर पृथक सें बनाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री बृजराजंिसह है.कानि. को परिवादी के हमराह रवाना किया गया। समय 11.50 ए.एम. परबृजराज सिंह है.कानि. 144 ने मय परिवादी के कार्यालय में उपस्थित होकर मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि परिवादी इनकी स्कूटी सें एवं मैं स्वंय की मोटर साईकिल सें कार्यालय सें रवाना होकर एम.बी.एस. अस्पताल परिसर में गये तथा परिवादी दवाईयों की दुकान के पास बने वर्कशॉप में गया मैं वर्कशॉप के बाहर ही खडा था, कुछ समय पश्चात वापस आकर इन्होने बताया कि मैं वकॅशॉप में देखने गया था कि मसूंर अली वंहा हैं या नहीं तो मंसूर अली मुझे सामने ही मिल गया तथा उसने कहा कि आज संभागीय आयुक्त का दौरा हैं कल आ जाना, इस दौरान में आपके द्वारा दिये गये रिकॉर्डर को चालु नही कर सका इसलिए हमारे बीच हुई वार्ता इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड नहीं हो पाई। इसके पश्चात हम वंहा सें रवाना होकर वापस कार्यालय आ गये। परिवादी सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बनाई गई तथा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल की गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया, तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि अब तीन दिन की छुटिट्यां आ रही हैं, इसलिए मसूंर अली अब मुझसें सोमवार को ही मिलेगा इसलिए मैं सोमवार को आऊंगा। इस पर परिवादी को गोपनीयता की हिदायत देकर रूखसत किया गया। दिनांक 29.01.2024 समय 11ः15 ए.एम.पर श्री कपूरचंद सिंघल कार्यालय में उपस्थित आया । मन पुलिस निरीक्षक ने श्री बृजराज सिंह हैड कानि. को अपने कक्ष में बुलाया तथा कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाकर पुनः परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु व बन्द करने की विधी समझाई तथा फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर पृथक सें बनाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री

बृजराज िसह है.कानि. को परिवादी के हमराह रवाना किया गया, समय 11ः50 ए.एम. पर परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि मैं बृजराज सिंह जी के साथ चौकी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरेा कोटा सें रवाना होकर एम.बी.एस. अस्पताल गया था मै बृजराज जी को एम.बी.एस. परिसर में दवाईयों की दुकान के सामने छोडकर रिकॉर्डर चालु करके वर्कशॉप में मसूंर अली सें मिलने गया था। मेरी मसंूर अली सें मेरे कार्य के संबंध में बात हो गई तथा वह 15,000 रू. रिश्वत देने पर मेरे कार्य को करने के लिए सहमत हो गया। उसने मुझसें 5,000 रू. अभी ले लिये हैं तथा 10,000 रू. शाम तक देने के लिए कहा हैं। मैने बाहर आकर रिकॉर्डर को बन्द करने के लिए निकाला तो यह पहले सें बन्द हो गया था। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा रिकॉर्डर को चालु करके देखा गया तो इसमे एक फाईल 2 मिनट 42 सैकण्ड की हैं जिसमें केवल पैदल चलने की आवाज हैं, तत्पश्चात परिवादी ने कहा कि मै फिर से मसूंर अली के पास सत्यापन के लिए जाऊंगा, इस पर परिवादी को पुनः रिकॉर्डर सुपुर्द कर सत्यापन हेतु मय श्री बृजराज सिंह है.कानि. के रवाना किया। इसके बाद समय 1.15 पी.एम. पर परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि मैं बृजराज जी को एम.बी.एस. परिसर में दवाईयों की दुकान के पास छोडकर रिकॉर्डर चालु करके वर्कशॉप में मसूंर अली सें मिलने गया था। मैने मंसूर अली को बताया कि मेरा बैंक खाता बन्द हो गया हैं बैंक से रूपये नही निकल रहे है, मुझे बैंक में जाकर केवाईसी करवानी पडेगी तब ही मैं आपको पैसे दे पाऊंगा इसमें समय भी लग सकता हैं तथा फिर मैने उनको मेरे बिल की राशि व उसकी एवज में दी जाने वाली राशि के संबंध में बात की तो श्री मंसूर अली सहमत हो गया हैं। मैने उसको मेरे बिलों की राशि व उनकी एवज में दी जाने वाली रिश्वती राशि के संबंध में लिखकर देने को कहा तो उसने मुझे एक कागज पर 1,33,422 रू., 15265 रू. एंव 47,253 रू. कुल 195941 रू. की बिल की राशि तथा 5000 रू. मेरे द्वारा इससे पूर्व दिये जाने के कारण 15000 रू. माईनस 5000 तथा 10,000 लिखकर दिये तथा इसी कागज के पीछे की तरफ मेरे बैंक खाते को चालु करने के लिए बैंक में केवाईसी करवाने के लिए मुझे क्या-क्या लेकर जाना हैं के संबंध में अंग्रेजी में केवाईसी आधारकार्ड एवं पेनकार्ड स्वंय के हस्तलेख से लिखकर बताया तथा कागज मुझे सौंप दिया है, जो मैं आपको सुपुर्द करता हूं। परिवादी सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसमें रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा कहे गये कथनों की ताईद हुई। मसूंर अली ने परिवादी के बिल पास करने की एवज में पूर्व में हुई वार्ता सें सहमत होते हुये पुनः परिवादी सें वार्ता कर उसके बिल की राशि व रिश्वत की राशि के संबंध में बात की हैं, उक्त हिसाब एक कागज पर लिखा हैं। परिवादी द्वारा पेश कागज का अवलोकन किया तो उस पर परिवादी द्वारा बताया गया हिसाब लिखा हुआ हैं तथा पीछे की तरफ अंग्रेजी में KYC (1) PAN CARD (2) ADHAR CARD लिखा हुआ है। परिवादी द्वारा पेश पर्ची को वजह सबूत शामिल फाईल किया गया। परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत की मांग का सत्यापन होने तथा रिश्वत मांग सत्यापन की ट्रांसक्रिप्ट बनाई जानी हैं, अतः ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान लाने हेतु एक तहरीर श्रीमान तहसीलदार तहसील लाडपुरा के नाम जारी कर श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 को रवाना किया गया, जो समय 2.15 पी.एम. पर श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 मय दो स्वतंत्र गवाहान श्री आयुष मीणा पुत्र श्री रामस्वरूप मीणा जाति मीणा उम्र 28 साल निवासी- 1607 बसन्त विहार, कोटा हाल कानिष्ठ सहायक तहसील लाडपुरा, कोटा, मोबाईल नम्बर- 7221056915 तथा श्री मनोज कुमार गौतम पुत्र श्री हरिबल्लभ शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 31 साल निवासी- के आर 164 सिविल लाईन नयापुरा, हाल कनिष्ठ सहायक, तहसील लाडपुरा, कोटा, मोबाईल नम्बर- 9530222102 के कार्यालय हाजा उपस्थित आया । गवाहान सें परिवादी श्री कपूरचंद सिंघल का आपसी परिचय करवाया तथा होने वाली कार्यवाही सें अवगत कराया तथा गवाहान सें परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया गया तथा कार्यवाही में साथ रहने की अनुमति चाही तो उन्होने सहमति दी जिस पर स्वतंत्र गवाहान के परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये, तत्पश्चात परिवादी व दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर से उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी व आरोपी मंसूर अली के मध्य दिनांक 29.01.2024 को हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप मंे श्री बृजराज सिह हैड कानि. 144 के द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता मे से परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री मंसूर अली की होना पहचान की। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात परिवादी को दिनंाक 30.01.2024 को प्रातः 10.00 ए.एम. पर रिश्वत में दिये जाने वाली रकम 10,000 रूपये सहित कार्यालय हाजा में उपस्थित आने तथा दोनों गवाहान को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर प्रातः 10.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा आने के लिए अपने- अपने स्थान के लिए रवाना किया गया।दिनांक 30.01.2024 को समय 09ः55 ए.एम.एसीबी स्पेशल युनिट सें श्री लालचन्द कानि. 30, स्वतंत्र गवाहान श्री आयुष मीणा व श्री मनोज कुमार गुप्ता एवं परिवादी श्री कपूरचन्द िसंघल मय रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000 रूपये सहित कार्यालय हाजा उपस्थित आये। समय 10.10 ए.एम. पर दोनों सरकारी स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री कपूर चन्द सिंघल पुत्र स्व. श्री हरिप्रसाद जी सिंघल जाति महाजन उम्र 73 साल निवासी चिल्ड्रन स्कूल की गली, छावनी कोटा मोबाईल नम्बर 9799858586 ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10 हजार रूपये निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है-क्र.स.

1 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट
4 EU 173285
2 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट
6 BU 812346
3 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट
1 AL 147649
4 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट
7 TU 659664
5 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट
5 QK 232484
6 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट
3 VN 911655
7 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट
5 NF 245359
8 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट
4 PL 306488
9 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट
6 DM 579458
10 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट
0 KT 165325
11 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट
7 GF 792232
12 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट
8 NR 274413
13 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट
9 FT 768939
14 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट
9 SN 100960
15 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट
1 AL 225318
16 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट
2 SH 810078
17 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट
6 KW 467015
18 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट
2 BG 457310
19 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट
5 SC 973816
20 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट
4 ND 839761

श्री लालचन्द कानि. नं. 30 के द्वारा मालखाने सें फिनॉल्फथीलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई एक अखबार के ऊपर थोडा सा फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर डलवाकर कर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनॉफ्थीलीन पाउडर भली भांती लगवाया गया। गवाह श्री आयुष मीणा सें परिवादी श्री कपूरचन्द सिंघल की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुये कपडों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तू इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर लगे नोटों को श्री लालचन्द कानि. सें सीधे ही परिवादी की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवाये गये एक डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा इस घोल में श्री लालचन्द कानि. के फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अगंुलियों को धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया इस प्रकार फिनॉल्फ्थीलीन व सोडियम कार्बोनेट के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को

परगवाहान के समक्ष परिवादीश्री कपूरचंद सिंघल ने महाराव भीम सिंह अस्पताल के प्रशासनिक भवन के पुराना आउटडोर हॉलमें खडे हुये नेअपने सिर पर दोनों हाथ फिराकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक, ताराचन्द दोनो स्वतंत्र गवाह श्री आयुष मीणा एवं श्री मनोज कुमार गौतम, ट्रेप पार्टी के सदस्य, श्रीमती चन्द्रकवंर, पुलिस निरीक्षक, श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140, श्री बृजराज िसह हैड कानि. 144, श्री योगेन्द्र सिंह 282, श्री बबलेश कानि.261,मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों व वस्तुओं केपैदल चलकर परिवादी के पास पहुंचे। मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने पास में खडे हुये व्यक्ति की ओर इशारा कर बताया कि ये ही मन्सूर अली जी हैं जिन्होने मेरे बिलों को पास कराने की एवज में मुझसे अभी-अभी 10,000 रू. लिये हैं जो इनके हाथ में ही हैं। पास खडे हुये चश्मा लगाये नीले रंग की जैकेट पहने हुये व्यक्ति को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर आने का मंतव्य बताकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मंसूर अली पुत्र स्व. श्री मोहम्मद मुस्तकीम जाति मुसलमान उम्र 55 साल निवासी- मकान नम्बर 6 ए 9 विज्ञान नगर, कोटा, हाल वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, महाराव भीम सिंह अस्पताल कोटा मोबाईल नम्बर-9829356599 होना बताया। तत्पश्चात प्रशासनिक भवन के पुराना आउटडोर हॉल में आने जाने वालों की काफी भीड होने के कारण श्री मंसूर अली के दोनों हाथों को एसीबी स्टाफ सें पकडवाकर रूम नं. 36, कार्यालय नर्सिंग अधीक्षक, एम.बी.एस. कोटा में लेकर आये, जंहा पर सामने कुर्सी पर श्री बने सिंह, नर्सिंग अधीक्षक एवं अन्य स्टाफ को होने वाली कार्यवाही से अवगत कराया तो उन्होने कहा कि आप यंहा बैठकर कार्य करो मैं व स्टाफ बाहर अन्य कक्ष में बैठ जायेंगे। तत्पश्चात आरोपी के हाथ में रखे हुये नोटों को स्वतंत्र गवाह श्री आयुष मीणा सें गिनवाया गया तो वो पांच-पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये थे। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द पेशकशी व दृष्टान्त में अंकित नम्बरों सें करवाया गया तो हूबहू मिलान हुआ, उक्त नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया तथा नोटों को कागज के एक पीले लिफाफे में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। आरोपी मसूंर अली ने परिवादी सें रिश्वती राशि 10,000 रूपये अपने हाथ सें प्राप्त किये हैं, अतः आरोपी श्री मंसूर अली की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की,कमरे में रखी हुई पीने के पानी की बोतल सें पानी लेकरदो डिस्पोजल गिलासों में पानी डलवाकर गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी मसंूर अली के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH 1, RH 2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH 1, LH 2 अंकित किया। श्री मंसूर अली से परिवादी से लिये 10,000 रूपयों बाबत पूछा तो उसने बताया कि ये रूपये तो मैंने इनको उधार दिये थे जो इन्होने मुझे वापस दिये हैं, इस पर परिवादी ने आरोपी मंसूर अली की बात का खण्डन करते हुये कहा कि ये झूंठ बोल रहे है इनसे मैने कभी कोई रूपये उधार नहीं लिये है। मैं मेरी फर्म कपूर ट्रेडर्स छावनी कोटा के जरिये एम.बी.एस. हॉस्पीटल कोटा में टेण्डर के अनुसार साबुन, चप्पले, बिजली के सामान व अस्पताल के अन्य जरूरी सामान सप्लाई करता हूं एवं मशीनो के मरम्मत संबंधी कार्य व अन्य छोटे मोटे कार्य मौखिक आदेश से भी करता हूं। मेरे उक्त कार्यों सें संबंधित बिलो का भुगतान संबंधी प्रक्रिया इनके द्वारा की जा रही है। इनके द्वारा पिछले कई महिनों सें मेरे बिलो का भुगतान नहीं करवाया गया जब मैं इनसें मिला तो इन्होने कहा बिना रूपये दिये आपका बिल पास नही हो पायेगा, इससें परेशान होकर मैने एसीबी में जाकर शिकायत की ओर कल रिश्वत की मांग के संबंध में रिकॉर्डर लेकर मैं इनसें मिला तो उस समय इन्होने मेरे बिलो को पास करवाने के लिए रिश्वत के संबंध में बात कर स्वंय के लिए एवं मनीषपाल बाबू व रोहित दिक्षित लेखाधिकारी के लिए मुझसें 15,000 रिश्वत की मांग की तथा मुझसें 5000 रू. उसी समय तथा 10,000 रू. बाद मे ंदेने के लिए कहा जिसके संबंध में रिकॉर्ड वार्ता आपके रिकॉर्डर में मौजूद है इस वार्ता के दौरान इन्होने मुझे मेरे तीन बिलो का हिसाब एक कागज पर क्रमशः 1,33,422 रू., 15,265 रू. एंव 47,253 रू. तथा कुल राशि 1,95,941 रू. इनकी एवज में दी जाने वाली रिश्वती राशि 15,000 रू. जिनमें सें मेरे द्वारा 5,000 रू. दे देने के कारण 5,000 माईनस करते हुये 10,000 रू. लिखकर दिये तथा मेरे द्वारा इनसे ये कहने पर कि मेरा केवाईसी के कारण बैंक खाता बन्द हो गया हैं इस पर इन्होने इसी कागज के पीछे मेरे बैंक खाते को चालु करने के लिए केवाईसी करवाने के लिए मुझे क्या-क्या लेकर जाना हैं, इस हेतु अंग्रेजी में केवाईसी, पेन कार्ड एवं आधार कार्ड लिखकर दिया जो कागज मैने आपको सुपुर्द कर दिया था। आज रिश्वत मे देने वाले पाउडर लगे 10,000 रू. के नोटों को नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय के सामने इनसें बात करते हुये देने के लिए कहा तो इन्होने कहा मुझसें कहा कि यंहा नहीं बाहर चलो जिस पर मैने इनको कहा कि वर्कशॉप तो इन्होने आगे चलते हुये मुझे पीछे आने के लिए इशारा किया तथा वंही पास में पुराने आउटडोर के हॉल में जाकर इन्होने मुझसें पैसे ले लिये इसके बाद मैने आपको इशारा कियाये बात भी आपके रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। आरोपी मसंूर अली सें दिंनांक 29.01.2024 को सत्यापन के दौरान परिवादी सें लिये गये 5000 रू. के संबंध में पूछा तो मंसूर अली ने कहा कि मैने इनसें कल कोई रू. नहीं लिये। परिवादी सें प्राप्त किये गये डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को लेपटोप में लगाकर चालु कर आज लेनदेन के समय हुई रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा कहे गये कथनों की

ताईद हुई। तत्पश्चात श्री मंसूर अली से परिवादी के कार्य से संबन्धित फाईल के बारे में पूछा तो कहा कि इनके बिल इत्यादि की फाईल वर्कशॉप अकाउण्टेंट के पास होगी मेरे पास इनके कोई बिल नहीं है। परिवादी के कार्य सें संबन्धित दस्तावेजों की छायाप्रति प्राप्त करने हेतु पृथक सें कार्यालय अधीक्षक, महाराव भीम सिंह अस्पताल को तहरीर जारी कर प्राप्त किये जावेंगे ।आरोपी श्री मंसूर अली की तलाशी नियमानुसार स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार गौतम सें लिवाई गई तो उनके पहने हुये कपडों में एक पर्स जिसमें 100 रूपये, मंसूर अली का आधार कार्ड व ड्राईविंग लाईसेंस एंव एक मोबाईल दो सिमवाला बरंग काला, गपंवउप कम्पनी का मिला। मंसूर अली की जामा तलाशी में मिले आधार कार्ड की छायाप्रति करवाकर शामिल फाईल किया गया तथा पर्स में मिले सभी सामान व मोबाईल को आरोपी के परिजनों को पृथक सें सुपुर्द किया जावेगा। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी श्री कपूरचंद सिंघल पुत्र स्व. श्री हरिप्रसाद सिंघल जाति महाजन उम्र 73 साल निवासी- चिल्ड्रन स्कूल की गली, छावनी, कोटा द्वारा फर्म कपूर ट्रेडर्स कोटा के जरिये एमबीएस अस्पताल में लॉउण्ड्री मशीन के सामानों, साबुन, चप्पले, बिजली के सामान व अस्पताल के अन्य जरूरी सामान सप्लाई सें संबंधित बिलो का भुगतान संबंधी प्रक्रिया श्री मंसूर अली द्वारा की जा रही थी जिसकी एवज में श्री मंसूर अली द्वारा स्वंय के लिए व मनीषपाल बाबू एवं अकाउण्ट ऑफीसर के लिए 15,000 रू. की मांगकर 5000 रू. प्राप्त किये तथा 10,000 रू. बाद मे और देने के लिए कहा तथा परिवादी के बिल की राशि व रिश्वती राशि कागज पर लिखकर देने तथा दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी सें 10,000 रूपये रिश्वत राशि अपने हाथ सें प्राप्त करने, आरोपी मंसूर अली के दाहिने हाथ का रंग हल्का गुलाबी व बायें हाथ का रंग मटमैला आने एव रिश्वती राशि 10,000 रूपये आरोपी के हाथ सें बरामद होने से आरोपी श्री मंसूर अली पुत्र स्व. श्री मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी जाति मुसलमान उम्र 55 साल निवासी- मकान नम्बर 6 ए 9 विज्ञान नगर, कोटा, हाल वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, महाराव भीम सिंह अस्पताल कोटा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। डिटेनशुदा आरोपी श्री मंसूर अली को पृथक से जर्ये फर्द गिरफ्तार किया जावेगा एवं आरोपी के आवास की खाना तलाशी हेतु उच्च अधिकारियों को निवेदन किया गया। समय 12.50 पी.एम. पर परिवादी की निशांदेही पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटना स्थल का नक्शा मौका कसीद किया जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान आयुष मीणा एवं श्री मनोज कुमार गौतम को प्राईवेट स्कूटी सें आगे रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक मय नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140, बृजराज सिंह है.कानि. 144 मय डिटेनशुदा आरोपी श्री मसंूर अली के प्राईवेट वाहन कार ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों व जब्तशुदा धोवन व रिश्वती राशि सहितएवं श्रीमती चन्द्र कवंर पुलिस निरीक्षक, श्री बबलेश कानि. 261 श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 दो प्राइवेट मोटरसाईकिलों सें महाराव भीम सिंह अस्पताल, नयापुरा कोटा सें रवाना होकर एसीबी चौकी कोटा पहुंचे। तत्पश्चात स्वतत्रं गवाहान व परिवादी के समक्ष परिवादी श्री कपूरचन्द सिंघल एंव आरोपी श्री मंसूर अली के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन हुई वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी, को सुना जाकर दोनों गवाहान के समक्ष फर्द ट्रासंक्रिप्ट श्री बृजराज सिंह हैड कानि. 144 से कार्यालय के सरकारी लेपटोप से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद आरोपी श्री मसंूर अली व परिवादी श्री कपूरचन्द सिंघल के मध्य दिनांक 29.01.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 30.01.2024 को रिश्वत राशि लेन देन के समय हुई वार्ता में रिकॉर्ड आवाज का एफ.एस.एल. जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु आवाज का नमुना देने हेतु आरोपी मंसूर अली को नोटिस दिया गया तो आरोपी ने उसको पढकर उस पर अपने स्वयं के हस्तलेख से लिखकर दिया कि “मैं मेरी आवाज का परीक्षण कराने हेतु नमूना आवाज स्वेच्छा से नही देना चाहता हूं”। नोटिस नमुना आवाज पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान एंव परिवादी श्री कपूरचंद िसंघल के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मे परिवादी श्री कपूरंचद सिंघल व आरोपी श्री मसंूर अलीके मध्य दिनांक 29.01.2024 को रिकॉर्ड हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे परिवादी श्री कपूरंचद सिंघल व आरोपी श्री मसंूर अलीके मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन हुई वार्ता को सरकारी वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था । उक्त वार्ताओं के चार पेन ड्राईवश्री बृजराज सिंह हैड कानि. 144 के द्वारा तैयार करवाये गये, डिजीटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताव डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वक्त लेनदेन वार्ताको लेपटोप के जरिये कॉपी कर SanDisk Cruzer Blade 32 GB कम्पनी के 4 पेन ड्राईव में पेस्ट किया गया। जिसमे से एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव नमूना आवाज के लिये व एक पेन ड्राईव आरोपी के लिये पृथक-पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर किये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे रखकर शामिल पत्रावली किया गया। डिजीटल वाईस रिकार्डर मे लगे हुऐ मेमोरी कार्ड SanDisk Ultra 32 GB micro SDHC- I को निकालकर कवर मे रखकर कपडे की थैली मे सील्ड मोहर किया गया, फर्द डबिंग तैयार करवाई जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 5.00 पी.एम. परआरोपी श्री मंसूर अली पुत्र स्व. श्री मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी जाति मुसलमान उम्र 55 साल निवासी- मकान नम्बर 6 ए 9 विज्ञान नगर, कोटा, हाल वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, महाराव भीम सिंह अस्पताल कोटाका उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों एवं संवैधानिक अधिकारांे से अवगत कराते हुए

नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मानकर हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा आर्टिकल्स धोवन की शील्डशुदा 4 शीशीयां, शील्डशुदा 3 पेन ड्राईव, बरामदशुदा रिश्वती राशि का लिफाफा को मालखाना प्रभारी सें जमा मालखाना करवाया गया।उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी श्री कपूरचंद सिंघल पुत्र स्व. श्री हरिप्रसाद सिंघल जाति महाजन उम्र 73 साल निवासी- चिल्ड्रन स्कूल की गली, छावनी, कोटा द्वारा फर्म कपूर ट्रेडर्स कोटा के जरिये एमबीएस अस्पताल में लॉउण्ड्री मशीन के सामानों, साबुन, चप्पले, बिजली के सामान व अस्पताल के अन्य जरूरी सामान सप्लाई सें संबंधित बिलो का भुगतान संबंधी प्रक्रिया श्री मंसूर अली द्वारा की जा रही थी जिसकी एवज में श्री मंसूर अली द्वारा स्वंय के लिए व मनीषपाल बाबू एवं अकाउण्ट ऑफीसर के लिए 15,000 रू. की मांगकर 5000 रू. प्राप्त किये तथा 10,000 रू. बाद मे और देने के लिए कहा तथा दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी सें 10,000 रूपये रिश्वत राशि अपने हाथ सें प्राप्त करने, आरोपी मंसूर अली के दाहिने हाथ का रंग हल्का गुलाबी व बायें हाथ का रंग मटमैला आने एव रिश्वती राशि 10,000 रूपये आरोपी के हाथ सें बरामद होने से आरोपी श्री मंसूर अली पुत्र स्व. श्री मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी जाति मुसलमान उम्र 55 साल निवासी- मकान नम्बर 6 ए 9 विज्ञान नगर, कोटा, हाल वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, कार्यालय अधी◌ाक्षक, महाराव भीम सिंह अस्पताल कोटा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी श्री मंसूर अली को जर्ये फर्द गिरफ्तार किया गया। अतः आरोपी श्री मंसूर अली पुत्र स्व. श्री मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी जाति मुसलमान उम्र 55 साल निवासी- मकान नम्बर 6 ए 9 विज्ञान नगर, कोटा, हाल वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, महाराव भीम सिंह अस्पताल कोटा के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है।(ताराचन्द)पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।..... कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ताराचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) आरोपी श्री मसूंर अली अंसारी पुत्र स्व. श्री मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी हाल वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, महाराव भीम सिंह अस्पताल कोटा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 20/2024 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अनिता वर्मा, पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. कोटा को सुपुर्द कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर जारी की गई उक्त रोजनामचा आम रपट संख्या 504 पर अंकित है।विशनाराम) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।क्रमांक 104-07 दिनांक 01.02.2024प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।2.निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।3.उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ANITA VERMA **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 01/02/2024 17:22:48

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	29/11/1969				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)